VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2364)

Name of Candidate	Ishwar lal gurjar.		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	1295818.
Center	Jaipur.	Date	29-Aug, 2024.

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **HINDI & ENGLISH.**
   इसमें बीस प्रश्न हैं **हिन्दी और अंग्रेजी** में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

Is student recommended for One-to-One mentoring?	
Recommended	Strongly Recommended

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

For one-to-one mentoring session on this copy, call us at 7042691891 or send an email to appointment@visionias.in

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q1. धन शोधन और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के अपराधों की जांच करने के अपने अधिदेश को पूरा करने में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा सामना की जाने वाली आलोचनाओं पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Discuss the criticisms faced by the Enforcement Directorate (ED) in fulfilling its mandate of investigating offences of money laundering and violations of foreign exchange laws. (Answer in 150 words) 10

'ED' भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के 'राजस्व विभाग' के तहत काम करने वाली मुख्य प्रवर्तन संस्था है जो "धनशोधन-निवारण अधिनियम-2002 ई. और FERA एक्ट के प्रावधानों को लागू कर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का प्रयास करती है।

ED की आलोचना के प्रमुख कारण

① **राजनीतिकरण** → ED के प्रयोग को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाते रहे हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी के जैसे- खातों को चुनाव के समय सीज करना

② **निष्पक्षता के अभाव** के कारण कई बार सर्वोच्च न्यायालय ने ED की पक्षपातपूर्ण कार्यवाही पर प्रश्न उठाए हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(3) FCRA अधिनियम के तहत ग्रीन पीस, रोमिनेसि इंटरनेशनल NGO के विदेशी दान पर जाँच के कारण आलोचना हुई।

(4) PMLA-2002 ई. के तहत गिरफ्तारी की मंशा पर सवाल उठते रहे है।

(5) दोष सिद्दि की निम्न दर के कारण कुल दर्ज मामलो के मात्र -3.3% मे ही सजा

(6) जमानत ना मिलने के कारण प्रक्रिया ही सजा बन जाती है।

आगे की राह → (A) ED को स्वायतता प्रदान कर राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त करना

(B) कन्वेंशन रेट बढ़ाने के लिए बिग डेटा, AI व डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग करना।

(C) ED व CBI के प्रमुख की नियुक्ति व कार्यकाल सुरक्षा में सुधार करना।

अतः केन्द्रीय एजेंसियो का दुरूपयोग ना हो इसके लिए व्यापक स्तर पर वैधानिक व प्रशासनिक सुधार की जरूरत है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q2. विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां (DRSCs), जिन्हें 'मिनी पार्लियामेंट' भी कहा जाता है, अपने कार्यों को करने में प्रभावी क्यों नहीं रही हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Why are the Departmentally Related Standing Committees (DRSCs), also known as 'Mini Parliament', not effective in carrying out their functions? (Answer in 150 words) 10

भारत में अमेरिका की तर्ज पर विभागीय समितियों का गठन किया जाता है जो अपने विभाग के बजटीय अनुदान मांग की समीक्षा करती है। वर्तमान में -24 विभागीय समितियां है।

DRSCs के अप्रभावी होने के कारण

(1) संसदीय चर्चा व विमर्श की संस्कृति का ह्रास के कारण बजट पर न्यूनतम चर्चा हो रही है। जैसे - 70% केन्द्रीय बजट 2023 बिना चर्चा के पारित हुआ।

(2) संसदीय नैतिकता का क्षरण होने से समितियों में डिबेट, डिस्कसन व डिस्कोर्स की संस्कृति में कमी आयी।

(3) विभागीय समितियों के पास सीमित स्वायत्तता के कारण मात्र औपचारिकता बनकर रह गई।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(4) विशेषज्ञता व डोमेन नॉलेज का अभाव है।

(✱) g- व्यय तथा आय पर समिति के पास राजस्व विशेषज्ञ सदस्यों का अभाव

(5) मानव संसाधन व डेटा का अभाव के कारण DRSCs की स्थिति खाना-पूर्ति मात्र

(6) सदन के सत्रों व बैठकों में कमी के कारण DRSC की भी उत्पादकता कम हुई।

आगे की राह

↳ * अनुदानों की मांग पर व्यापक चर्चा हो।

* DRSCs को तकनीक व प्रौद्योगिकी सहायता तथा डोमेन विशेषज्ञता प्रदान की जाये।

* पोस्टमार्टम एप्रोच की बजाय अति सक्रियता द्वारा योजनाओं व बजट निर्माण में DRSCs को शामिल करना।

अतः डेटा ड्रिवन गवर्नेंस व विभागों की कुशलता-दक्षता को बढ़ाने के लिए DRSCs की भूमिका को और अधिक जीवंत करना होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q3. भारत, अमेरिका और ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण के संदर्भ में क्या समानताएं और भिन्नताएं हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

What are the similarities and differences with regard to the separation of powers in India, USA, and UK? (Answer in 150 words) 10

'मोन्टेस्क्यू' द्वारा प्रदत्त शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त के अनुसार विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को पूर्णतः स्वतंत्र रखा जाए ताकि राज्य निरंकुश ना रहे और जवाबदेहिता बनी रहे।

भारत, अमेरिका और ब्रिटेन में समानताएं-भिन्नताएं

(1) भारत और अमेरिका में स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया गया है। जबकि ब्रिटेन में उसे हाउस ऑफ लॉर्डस का हिस्सा बनाया गया।

(2) भारत और ब्रिटेन में कार्यपालिका, विधायिका का ही एक अभिन्न हिस्सा होती है। अनु. 79,80 जबकि अमेरिका में कार्यपालिका स्वतंत्र रूप से

(3) भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से प्रभावित है जहां संसद में लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति शामिल है। USA में ऐसा नहीं है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(4) अमेरिका में राष्ट्रपति संचालित अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है जबकि भारत व ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की सरकार होती है।

(5) भारत में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में असमान है जबकि अमेरिका में संघवाद के अनुसार सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व ब्रिटेन में यूनियन है।

(6) ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है जबकि भारत और अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता।

(7) भारत व अमेरिका में राज्यों तथा केन्द्र के मध्य (अनु. 247) शक्तियों का पृथक्करण है जैसे- संघसूची, राज्यसूची जबकि ब्रिटेन में नहीं।

अतः अमेरिका में पूर्ण रूप से शक्ति पृथक्करण है। भारत में चेक एंड बैलेंस तथा ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता लागू है। जो ऐतिहासिक, भौगोलिक परिस्थितियों का परिणाम है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q4. यद्यपि केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों ने राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया है, तथापि राज्य सरकारें स्वयं ही अपने समक्ष आने वाली वित्तीय चुनौतियों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Though measures adopted by the Central government have impacted state finances, the state governments themselves are mainly responsible for the financial challenges they face. Discuss. (Answer in 150 words) 10

'RBI' की राज्य की वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार राज्यों का कुल सार्वजनिक ऋण व GDP अनुपात = 28.7% है जबकि FRBM के अनुसार यह 20% होना चाहिए। साथ ही राज्यों का राजकोषीय घाटा भी 2.7% से अधिक है जो राज्यों की खराब स्थिति को बताते है।

केन्द्र सरकार के उपाय और राज्यों पर प्रभाव

(i) FRBM एक्ट 2003 के माध्यम से राज्यों में वित्तीय अनुशासन लाने का प्रयास।

(2) GST लागू करने के प्रयास से राज्यों की केन्द्र पर आर्थिक निर्भरता बढ़ी। जैसे- राज्यों के अप्रत्यक्ष कर (राज्य बिक्री कर, VAT, उत्पाद कर, मनोरंजन कर) GST में शामिल हुए।

③ Covid-19 और GST क्षतिपूर्ति का मुद्दा →

Covid-19 व राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण राज्यों के राजस्व में कमी आयी वहीं GST क्षतिपूर्ति की 2 लाख करोड़ मांग के सामने मात्र 1.1 लाख करोड़ ही मिले।

④ उधार लेने में केन्द्र की अनुमति (अनु.293) तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (CSS) के कारण राज्यों की स्वायत्तता में कमी।

वित्तीय चुनौतियों के पीछे राज्य सरकारों के कारण

जैसे. लोक लुभावन वादे (OPS लागू करना), भ्रष्टाचार, कल्याणकारी व्यय की अधिकता (जैसे- पंजाब द्वारा कृषि सब्सिडी), पूंजीगत व्यय का अभाव, सुशासन की कमी तथा ईज ऑफ डूइंग के सुधार लागू न करना मुख्य कारण जैसे - बिहार का 30% व्यय ही अपने राजस्व से प्राप्त होता है।

आगे की राह → राज्यों को FRBM के तहत पूंजीगत व्यय को बढ़ाना, राजस्व स्रोतों में सुधार व राजकोषीय समेकन द्वारा अपनी स्थिति में सुधार करना होगा।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q5. हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार जीवन और समानता के अधिकार से संबद्ध है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों के संवैधानीकरण में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई भूमिका पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

The Supreme Court of India recently recognised that the right against the adverse impacts of climate change is intertwined with the right to life and equality. Discuss the role played by the judiciary in constitutionalization of environmental issues. (Answer in 150 words) 10

एम. सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वच्छ पर्यावरण को अनु. 21 के तहत एक मौलिक अधिकार माना है।

पर्यावरण संबंधी मुद्दों के संवैधानीकरण में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका →

① स्वच्छ जल, हवा और पर्यावरण को मौलिक अधिकार माना गया।

② प्रदूषणकर्ता भुगतान के सिद्धान्त (PPP) के तहत वायु प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली में पटाखों पर बैन लगाया।

③ परिवहन द्वारा हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए BS-IV की जगह BS-VI को अपनाने का आदेश दिया

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(4) न्यायिक सक्रियता व अनु. 142 के तहत पूर्ण न्याय का प्रयोग करते हुए पर्यावरणीय स्रोतों के संरक्षण, वन्यजीव अभ्यारणों के संरक्षण हेतु विभिन्न आदेश पारित किए

(5) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के माध्यम से जुर्माना लगाकर अवैध खनन पर रोक
ex- अरावली अवैध खनन मामला

(6) गंगा नदी को एक विधिक नागरिक के रूप में स्वीकार करते हुए नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का प्रयास किया।

(7) जस्टिस कुलदीप की पर्यावरणीय भूमिका के कारण ही उन्हें ग्रीन जज कहा जाता है।

अतः न्यायपालिका ने जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जीवन के अधिकार को महत्व देकर पर्यावरण व क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट इक्वलिटी में महत्वपूर्ण योगदान किया।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q6. स्वयं सहायता समूहों (SHG) के संघ भारत में SHGs को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थागत नवाचार के रूप में उभरे हैं। विवेचना कीजिए। इनके कामकाज को कौन-सी कमियां बाधित करती हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

SHG federations have emerged as an important institutional innovation to sustain SHGs in India. Discuss. What inadequacies hamper their functioning? (Answer in 150 words) 10

भारत में 1.2 करोड़ SHG है जिनसे 13 करोड़ लोग प्रत्यक्षतः जुड़े है। 88% SHG भारत में महिलाओं द्वारा संचालित है जैसे - जीविका SHG (बिहार)
- कुडुम्बश्री (केरल)

स्वंय सहायता समूह के संघ की SHG को बनाए रखने में भूमिका।

① SHG को सामूहिक आवाज देकर उनका सशक्तीकरण करने का प्रयास किया।

② SHG को बैंक, बाजार व निजी उद्योगों से जुड़ने में मदद करते है। जैसे - "ग्राम चिंतन केन्द्र व आन्ध्र मॉडल आदि।

③ दबाव समूह के रूप में SHG के हितों में नीति-निर्माण में सरकार को इनपुट देते

* SHG का क्षेत्र सूक्ष्म वित्त व कुटिर उद्योगों तक ही सीमित है इसे व्यापक करने की आवश्यकता है

* पॉलिसी गैप

* बैंकों व SHG के जुड़ाव में पेपर बैरियर की बाधा

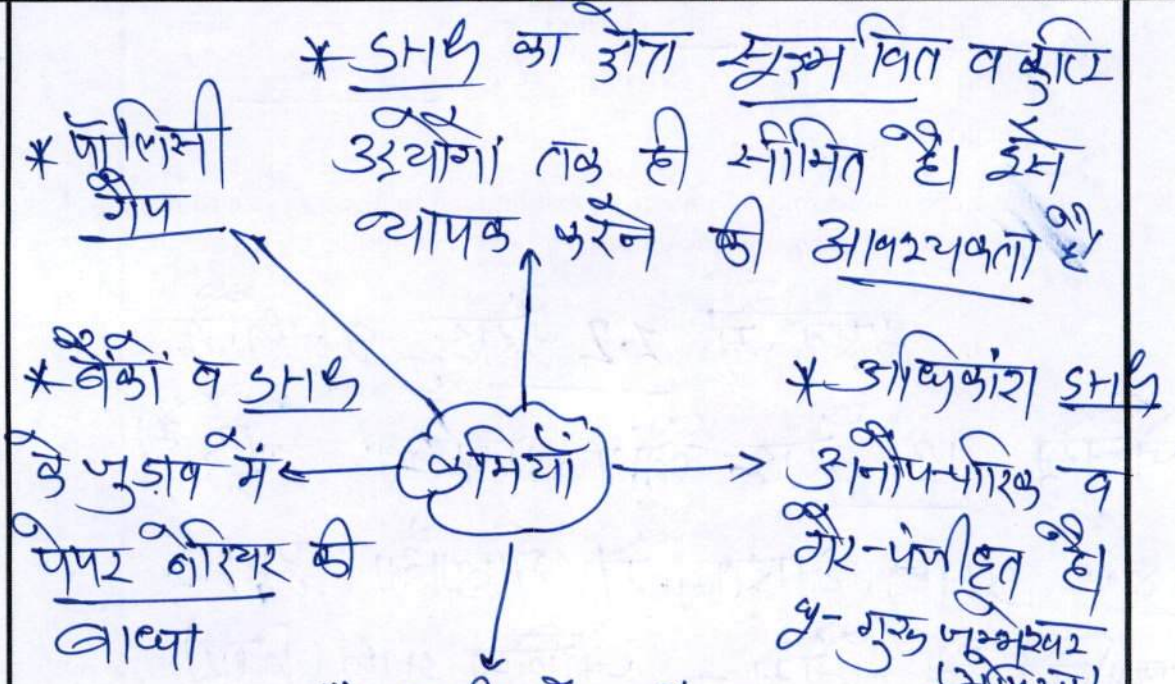

कमियाँ

* अधिकांश SHG अनौपचारिक व गैर-पंजीकृत है। e.g.- गुरु जुम्भेश्वर (मौकसा)

* ग्रामीण क्षेत्र के SHG तक इंटरनेट व तकनीक की पहुँच का अभाव है।

आगे की राह → **लखपति दीदी** जैसी योजनाओं द्वारा महिलाओं की आय में बढ़ोतरी हेतु SHG को बढ़ावा देने की जरूरत है।

→ **औपचारिकीकरण** व पंजीकरण के लिए NGO दर्पण की तरह SHG एकीकृत वेब पोर्टल की जरूरत है।

→ SHG की क्षमता निर्माण व सामुदायिक सशक्तीकरण हेतु इंटरनेट व तकनीक से जुड़ाव समय की मांग है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q7. बार-बार स्थानांतरण भारत में उच्चतर सिविल सेवा की एक गंभीर समस्या है। सिविल सेवकों के बार-बार स्थानांतरण से जुड़े दोषों पर चर्चा कीजिए और इस समस्या के समाधान के लिए सुधारों का सुझाव दीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Frequent transfers are a pervasive problem among the higher civil service in India. Discuss the drawbacks associated with frequent transfers of civil servants and suggest reforms to overcome this issue. (Answer in 150 words) 10

II ARC के अनुसार भारत में एक IAS का औसत कार्यकाल किसी पद विशेष पर मात्र = 1.5 वर्ष ही है। पुलिस में यह 1 वर्ष से भी कम है।

बार-बार स्थानांतरण के कारण

- राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण राज्य सरकार में राज्य पुलिस व राज्य प्रशासन में प्रशासनिक अधिकारी (IAS, PCS) व SHO, के स्थानांतरण में स्थानीय राजनीति हावी
- स्थानांतरण के लिए योग्यता व क्षमता मानक न होकर वफादारी और समान विचारधारा मानक है।
- कैडर कैपिटलिज्म के कारण स्थानांतरण

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

में निजी भ्रष्टाचार की समस्या है।

(*) बार-बार स्थानांतरण का प्रभाव

(1) संस्थागत सुधार व नवाचारी उपायों का लागू न हो पाना। जैसे- प्र. खेमका को 20 वर्षों में 20 बार स्थानांतरण हुआ।

(2) लोक सेवक के आत्मविश्वास और कार्य-प्रेरणा को कम कर देता है।

(3) दीर्घकालीन सुधार व नीति-निर्माण की प्रक्रिया बाधित होती है।

(4) स्थानांतरण एक व्यवसाय बन जाता है जो भ्रष्टाचार, लाल फीता शाही को बढ़ाता है।

समाधान → (*) डिजीटल मानव संसाधन प्रबंधन सूचना प्रणाली (D-HRMIS) के माध्यम से ऑनलाइन पदोन्नति व स्थानांतरण सिस्टम बनाना चाहिए

(*) केन्द्रीय पोर्टल द्वारा निगरानी

(*) राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना (प्रकाश सिंह वाद)

अतः स्थायीत्व प्रदान कर सुशासन को बनाया जा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q8. प्रमुख खाद्य उत्पादक होने और व्यापक पोषण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बावजूद, भारत कुपोषण के संकट से क्यों जूझ रहा है? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Despite being a major food producer and implementing extensive nutrition programmes, why does India continue to struggle with the malnutrition crisis? (Answer in 150 words) 10

NFHS-5 के अनुसार
आधी महिला आबादी एनीमिया से ग्रस्त है। एक तिहाई बच्चे स्टंटिंग का शिकार है और एक-चौथाई आबादी मोटापा के शिकार है।
अतः अब खाद्य सुरक्षा से पोषण-सुरक्षा की ओर बढ़ना होगा।
(कदम) → ICDS और सक्षम आंगनवाड़ी द्वारा पूरक पोषण देना होगा
→ पोषण 2.0 और PM गरीब अन्न कल्याण योजना द्वारा 80 करोड़ को भोजन
→ राइस फोर्टिफिकेशन द्वारा पोषण

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ मोटा अनाज द्वारा कुपोषण कम करना।

→ शांता कुमार कमेटी की सिफारिशों के अनुसार PDS को अधिक विविधीकरण करना होगा।

→ फिट इंडिया और ईट राइट इंडिया कैंपेन द्वारा जागरूकता।

अतः SDG-2 और SDG-2 से आगे बढ़कर अब पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q9. "ईरान के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध जारी रहेंगे, भले ही इससे पश्चिम को असुविधा हो।" उपर्युक्त कथन के आलोक में, स्पष्ट कीजिए कि ईरान के साथ संबंध जारी रखना भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

"India's close engagements with Iran would continue even if it may cause discomfort with the West." In the light of the above statement, explain why maintaining a relationship with Iran is significant for India. (Answer in 150 words) 10

ईरान और भारत का द्विपक्षीय व्यापार (2-3 B$) है जो सऊदी अरब के 54 B$ और UAE के 84 B$ से बहुत कम है। बावजूद इसके ईरान का (रणनीतिक महत्व) अधिक है।

- चाबहार बंदरगाह से मध्य एशिया
- INSTC द्वारा यूरेशिया से जुड़ना

- खाड़ी देशों में भारत के हितों को साधना होगा
- ईरान से सांस्कृतिक संबंधों का लम्बा इतिहास
- चीन को काउंटर करने हेतु

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आगे क्या है

↳ रणनीतिक स्वायत्तता बनाये रखते हुए ईरान से अच्छे संबंधों के लिए UAE व USA में दबाव बनाना

→ I2U2 के मंच का रचनात्मक उपयोग करते हुए ईरान के साथ पश्चिमी एशिया में उपस्थिति बनाए रखना

→ इस्रायल के साथ संबंधों को संतुलित करना

अंततः ईरान भारत के लिए महत्वपूर्ण सामरिक आयाम की स्थिति में सक्षम है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q10. भारत और चीन के बीच सीमा तनाव को प्रभावी तरीके से कम करने में भारत-चीन सीमा शांति और स्थिरता समझौते (BPTA) की भूमिका पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Discuss the role of the India-China Border Peace and Tranquility Agreement (BPTA) in effectively diffusing border tensions between India and China. (Answer in 150 words) 10

भारत-चीन सीमा शांति और स्थिरता समझौता -2013 के माध्यम से सीमा-विवाद का समाधान करने का प्रयास।

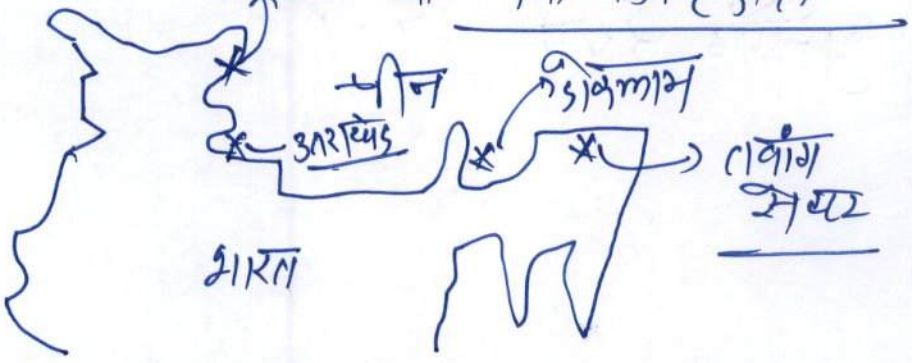

BPTA की भूमिका

↳ विवादों को संवाद और रणनीति से सुलझाने हेतु

↳ आपसी निरस्त्रीकरण की रणनीति हेतु जरूरी

↳ आत्मविश्वास और आक्रामकता हेतु

↳ सीमा पर अवसंरचना निर्माण पर निगरानी हेतु जरूरी

भारत की रणनीति हमेशा शांति की रही लेकिन चीन अपनी सलामी स्लाइसिंग रणनीति द्वारा सीमा में घुसपैठ करता रहा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q11. आपकी राय में, लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ निर्वाचन कराने से भारत में समग्र शासन को किस हद तक बढ़ावा मिल सकता है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

To what extent, in your opinion, can holding simultaneous elections to the Lok Sabha and State Legislative Assemblies augment overall governance in India? (Answer in 250 words) 15

'वन नेशन - वन इलेक्शन' का विचार 'पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद' की अध्यक्षता में गठित कमेटी के सामने विचाराधीन है। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की है।

वन नेशन - वन इलेक्शन की आवश्यकता

→ (1) विकास कार्य का राजनीतिकरण नहीं होगा। बार-बार आदर्श-आचार संहिता लागू करने से प्रशासनिक कार्यों में बाधा।

(2) दिनेश गोस्वामी कमेटी के सुझावों के अनुसार एक साथ चुनाव से प्रशासनिक प्रणाली की कुशलता बढ़ेगी।

(3) ADR के अनुसार 2024 ई. के आम चुनाव

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

में 1-3 लाख करोड़ का खर्च हुआ जो भारत में महंगे चुनाव की समस्या को बताते है। वन नेशन - वन इलेक्शन द्वारा इसे रोका जा सकता है।

(4) कार्यपालिका के प्रमुख प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पूरे कार्यकाल में चुनावी प्रचार की बजाय केवल पांच वर्ष मे एक बार जिससे प्रशासन की कार्य कुशलता, जवाबदेहिता बढ़ेगी।

(5) जनता की वोटिंग के प्रति उदासीनता को कम करने मे सहायक जिससे वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा जैसे- 2024 के चुनाव में 30 करोड़ वोटर्स ने वोट नही किया।

चुनौतियां

1. (A) क्षेत्रीय दलों द्वारा विरोध किया जाना
   (B) राष्ट्रीय मुद्दों के हावी होने से क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा कम होगी।
2. क्षेत्रीय आकांक्षाओ का अनादर होगा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(iii) भारत में 90 करोड़ से अधिक वोटर हैं अतः एक साथ चुनाव प्रशासनिक रूप से मुश्किल काम है।

(iv) संवैधानिक संशोधन व विधानसभाओं के कार्यकाल को आगे बढ़ाने की जटिल प्रक्रिया है। एक सहमति बनाना मुश्किल होगा।

आगे की राह →
* व्यापक विचार-विमर्श हो।
* प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए
* राजनीतिक सहमति बनायी जाए
* अन्य विकल्पों पर चर्चा
  जैसे- वन नेशन - टू इलेक्शन
* अन्य वैश्विक प्रणालियों को अपनाना

अतः अनु० 324 के तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध चुनाव भारतीय लोकतंत्र का आधार है। इसे अक्षुण्ण रखते हुए वन नेशन - वन इलेक्शन की तरफ बढ़ा जा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q12. भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समाज की बदलती आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए समय के साथ विकसित हुआ है। टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The Indian Constitution is a living document that has evolved with time to reflect the changing needs and aspirations of the society. Comment. (Answer in 250 words) 15

भारत का संविधान - 26 जनवरी 1950 ई. को अंगीकृत, आत्मार्पित, व अधिनियमित किया गया है। आज 75 वर्षों बाद, 105 संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से जीवंत बना हुआ है।

भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज के रूप में

(1) समय के साथ संशोधन द्वारा नए मूल्यों व आकांक्षाओं को जोड़ा गया -

जैसे - (क) 42 वें CAA द्वारा प्रस्तावना में → समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, अखंडता जोड़ा

(ख) 44 वें CAA-1978 में संविधान को अधिक मजबूत बनाते हुए - → मंत्री परिषद का लिखित आदेश राष्ट्रीय आपातकाल हेतु अनु. 352, 356

(ग) 86 वाँ CAA द्वारा [अनु. 21(A) शिक्षा का अधिकार

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

② नए मौलिक अधिकारों का समावेश सर्वोच्च न्यायालय व संसद के द्वारा-

जैसे → RTE → अनु. 21(A) व अनु. 51(A)

→ अनु. 21 में जीवन की स्वतंत्रता व गरिमा की विस्तृत व्याख्या करते हुए विस्तार किया गया —

जैसे- मेनका गांधी वाद (1978) - विदेश यात्रा का अधिकार

के.एस. पुट्टुस्वामी (2017) निजता का अधिकार

③ नीति निदेशक तत्वों को लागू करने व कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को पूरा करने हेतु संशोधन किया गया।

जैसे- अनु. 40 के तहत पंचायती राज संस्थाओं व ULBs को 73 व 74 वें संशोधन द्वारा शक्तियों का विकेंद्रीकरण

④ युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने व सहभागी लोकतंत्र की स्थापना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

के लिए - वोट देने के उम्र को 21 से 18 वर्ष की गई।

(5) समावेशी विकास, सहकारी संघवाद और विविधता में एकता की स्थापना के लिए संशोधन पर प्रासंगिक बनाया जैसे - GST परिषद (अनु. 279A)
- OBC आयोग (अनु. 338A)

महिलाओं की संसद में हिस्सेदारी को 13.6% से बढ़ाकर 33% करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम द्वारा संविधान को लैंगिक न्याय से अनुकूल करने का प्रयास किया। अतः भारतीय संविधान आज भी जीवंत है। (बी. आर. अम्बेडकर साहब) के अपेक्षाओं पर खरा उतर रहा है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q13. भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में विद्यमान कमियां विचाराधीन कैदियों के मानवाधिकारों को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? इन कमियों को दूर करने के लिए कौन-से सुधार आवश्यक हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

How do the deficiencies in the Indian criminal justice system impact the human rights of undertrial prisoners? What reforms are necessary to address these deficiencies? (Answer in 250 words) 15

भारत में कुल कैदियों में 76% कैदी विचाराधीन कैदी है। इनमें से आधे से अधिक समाज के गरीब, वंचित अल्पसंख्यक व दलित वर्गों से आते हैं।

आपराधिक न्याय प्रणाली में कमियों का विचाराधीन कैदियों पर प्रभाव

→ (1) हुसैनारा खातून वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने तीव्र सुनवाई के अधिकार को अनु. 21 के तहत एक मौलिक अधिकार माना जबकि वर्तमान में भारतीय न्याय प्रणाली में 5.1 करोड़ मामले लम्बित है। अतः देरी से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के समान होता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

② दोष सिद्धि की निम्न दर → भारतीय न्याय प्रणाली में यौन उत्पीड़न के मामलों की दोषसिद्धि - 15%, पोक्सो एक्ट में मात्र 3-4% है। इससे निर्दोष लोग पीड़ित होते।

③ प्रक्रिया ही सजा बन जाती है।

पुलिस की जाँच, चार्जशीट और मुकदमे की सुनवाई में सालों का समय लगता है। जैसे- 90 हजार केस 30 वर्षों से अधिक समय से लम्बित है।

④ हिरासत में मौत, जेलों में 150% तक ओवर क्राउडिंग, भ्रष्टाचार, मेघा न्याय न्यायप्रणाली को बाधित कर देता है।

सुधार व समाधान

1. (A) जस्टिस मुल्ला कमेटी के सुझावों के अनुसार जेल सुधार करना व मॉडल जेल एक्ट - 2016 को लागू करना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(c) SMART पुलिसिंग व सामुदायिक पुलिसिंग को अपनाते हुए पुलिस बल की बजाय पुलिस सेवा की अवधारणा को पूरा करना।

(d) जेलों में प्रौद्योगिकी को अपनाकर कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा करना जैसे- Open जेल अपनाना, किरण बेदी (IPS) के जेल सुधार लागू करना।

(e) आपराधिक न्याय प्रणाली में CCTNS तथा एकीकृत सिस्टम, ई-कोर्ट, ई-जेल, ई-पुलिस को अपनाना होगा।

(f) नए आपराधिक कानून जैसे- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करने में प्रशिक्षण प्रदान करना अतः विचाराधीन कैदियों सहित सम्पूर्ण न्याय प्रणाली को सुधारना होगा।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q14. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भारत में मानवाधिकारों के प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका का प्रभावी तरीके से निर्वहन क्यों नहीं कर पाया है? इसे ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टिट्यूशंस (GANHRI) से मान्यता प्राप्त करने से रोकने के लिए कौन-से कारण उत्तरदायी हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Why has the National Human Rights Commission (NHRC) not been able to effectively carry out its role as the watchdog of human rights in India? What are the reasons that have prevented it from getting accreditation from the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI)? (Answer in 250 words) 15

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग UNHR के UHRD को लागू करते हुए राष्ट्र में मानवाधिकारों का सुरक्षा करता है।

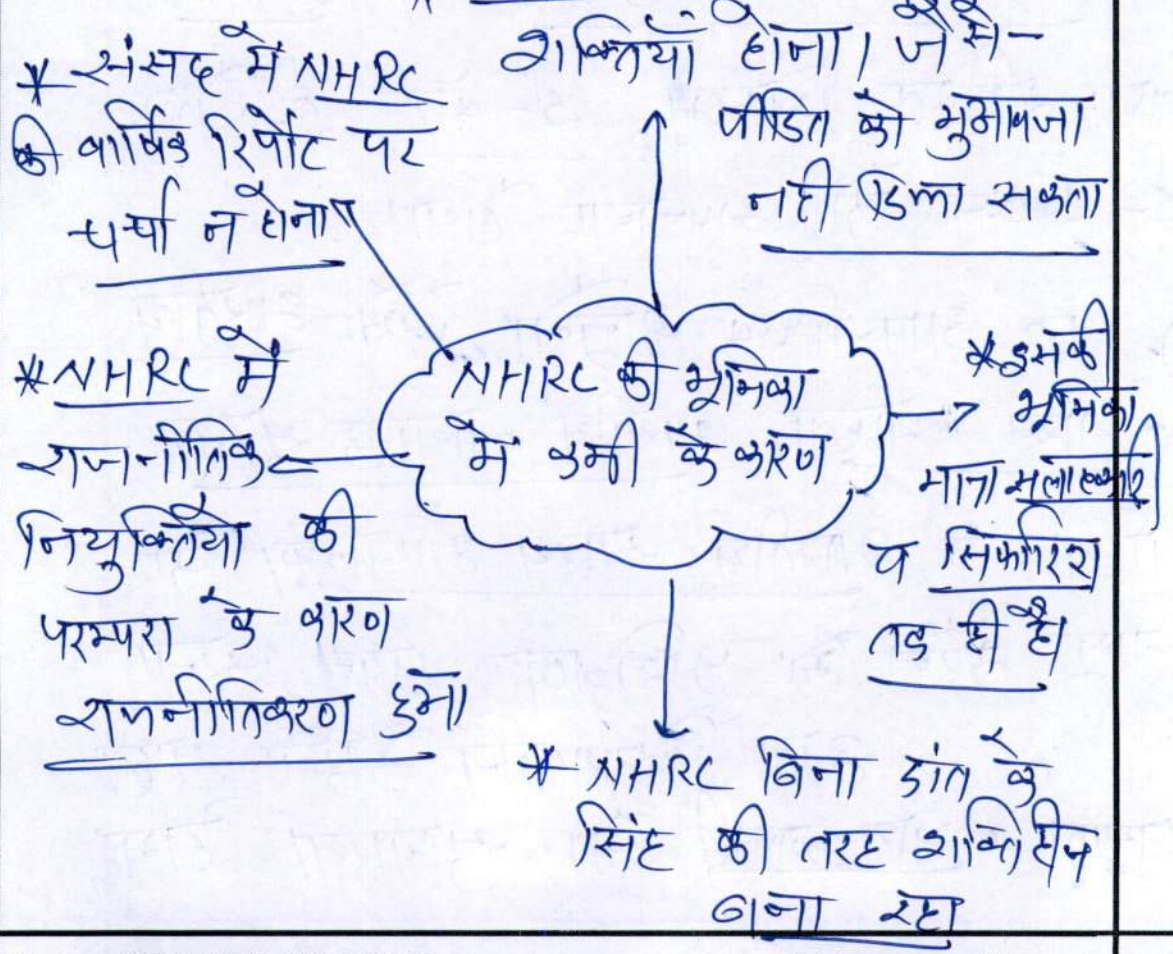

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

GANHRI से मान्यता प्राप्त करने में बाधा के कारण →

* NHRC द्वारा मानवाधिकारों की सुरक्षा में लापरवाही
* नेतृत्व का अभाव
* राजनीतिक हस्तक्षेप अधिक
* NHRC का शक्तिहीन होना
* भारत पर वैश्विक संस्थाओं का पूर्वाग्रहपूर्ण नज़रिया
* मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध

समाधान व आगे की राह

→ NHRC को संवैधानिक दर्जा दिया जाए
→ NHRC की वार्षिक रिपोर्ट पर संसद में व्यापक चर्चा कि जाए। तथा जवाबदेहिता तय हो।
→ NHRC को स्वतंत्र जाँच दल प्रदान किया जाए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अतः NHRC को अधिक स्वायत्तता, पूर्व सक्रिय भूमिका, मानव संसाधन तथा व्यापक शक्तियाँ प्रदान कर इसे राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों का संरक्षक बनाने का प्रयास किया जा सकता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q15. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की पृष्ठभूमि और प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। अधिनियम के कार्यान्वयन में सामना की जाने वाली चुनौतियों को सूचीबद्ध कीजिए। इसकी प्रभावशीलता को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ प्रस्तुत कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Discuss the background and key provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. List the implementation challenges that the Act faces. What measures can improve its effectiveness? Refer to Supreme Court judgments in this regard. (Answer in 250 words) 15

'विशाखा गाइड लाइन' सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा बनाम राजस्थान राज्य -1997 वाद में प्रदान की जिसे POSH एक्ट 2013 द्वारा वैधानिक रूप दिया गया।

प्रावधान — 10 से अधिक कर्मचारी वाली संस्था व संगठन में एक आंतरिक शिकायत कमेटी का गठन करना अनिवार्य।

* जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय शिकायत कमेटी का गठन करना होगा। जिसमें महिला कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करनी होगी।
* नियोक्ता का यह कर्तव्य है कि वह कार्य क्षेत्र को सुरक्षित व भय मुक्त

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

रखे।

* समय-समय पर कार्यशालाओं व जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा यौन उत्पीड़न के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे।

* जिलाधीश को अनुपालन रिपोर्ट वार्षिक स्तर पर तैयार कर राज्य सरकार को भेजनी होगी।

* आंतरिक शिकायत कमेटी पीड़िता को हर विधिक सहायता प्रदान करेगी साथ ही उसे अवकाश जैसे अधिकार भी देगी।

* SHE-BOX एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ यौन उत्पीड़न की शिकायत की जा सकती है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

(1) भारतीय खेल संघों में 30 में से मात्र (11) में ही आंतरिक शिकायत समिति का गठन

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

② POSH एक्ट -2013 लैंगिक रूप से भेदभाव करता है। इसमें पुरुषों के उत्पीड़न पर कोई प्रावधान नहीं।

③ स्थानीय शिकायत कमेटी के बारे में जागरूकता का अभाव।

④ लैंगिक संवेदीकरण व लैंगिक शिक्षा का अभाव है। eg- रैसलिंग फेडरेशन का मामला

⑤ कोई वित्तीय प्रोत्साहन और उपाय नहीं

आगे की राह

↳ प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर इसे ऑनलाइन पोर्टल द्वारा सुलभ बनाना
eg- हर जिले का SHE-BOX हो।

↳ निगरानी व अनुपालन की जाँच करना

↳ राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम

अतः SDG-5 के लिए POSH-2013 का कार्यान्वयन सही तरीके से हो।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q16. राज्य विधान सभाओं के अध्यक्षों से संबद्ध पूर्वाग्रह और पक्षपात के मुद्दों को देखते हुए, क्या आपको लगता है कि दलबदल विरोधी कानून के तहत उन्हें दी गई शक्तियां वापस ले ली जानी चाहिए? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

With issues of prejudice and partisanship associated with Speakers of State Legislative Assemblies, should the powers under the anti-defection law be taken away from their hands? (Answer in 250 words) 15

'दलबदल विरोधी कानून' के तहत अयोग्यता का निर्णय स्पीकर द्वारा किया जाता है। अतः इस न्यायिक भूमिका के कारण कई समस्याऐं आती है।

विधान सभाओं के अध्यक्षों से संबद्ध पूर्वाग्रह और पक्षपात के मुद्दे

* अध्यक्षों के पास विधिक विशेषज्ञता के अभाव में भूमिका बाधित
* अत्यधिक जटिल व विवादित स्पष्ट मुद्दों मे [illegible]
* शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त का उल्लंघन
* न्यायिक हस्तक्षेप से छूट प्रदान होने से दुरुपयोग
* समय पर निर्णय न लेना जैसे- मणिपुर विधानसभा के मामले में
* पक्षपातपूर्ण कार्यवाही करना eg- महाराष्ट्र विधानसभा के मामले

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

शक्तियों को वापस लेने के पक्ष में तर्क

(1) इस कार्य को निर्वाचन आयोग की सिफारिश से राज्यपाल/ राष्ट्रपति द्वारा प्रभावी तरीके से किया जा सकता है।

(2) अर्द्ध-न्यायिक निकाय के रूप में एक अलग संस्था का गठन करने की बात उच्चतम न्यायालय ने कही

(3) ब्रिटेन में स्पीकर पार्टी की सदस्यता से मुक्त होता है अतः इस अपनाना।

विपक्ष में तर्क

↳ अनु. 122 के तहत विधायिका के आंतरिक मामलों में न्यायालय का दखल नहीं होना चाहिए।

↳ विधायिका की स्वायत्तता के खिलाफ लगती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आगे की राह

↳ स्पीकर का पद संवैधानिक दायित्वों से युक्त है। इसलिए दलबदल संबंधी शक्तियों को स्पीकर के पास रखते हुए ब्रिटेन के मॉडल को अपनाया जा सकता है।

↳ किहोतो होलोहन वाद में तथा मणिपुर वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना चाहिए।

अतः स्पीकर के पद की गरिमा के अनुसार निष्पक्ष व निर्धारित मानक के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q17. हाल ही में, यू.जी.सी. ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा परिसरों की स्थापना और संचालन के लिए विनियम जारी किए हैं। भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (FHEIs) के प्रवेश को अनुमति देने के कारणों की विवेचना कीजिए। उनके सुचारू प्रवेश को सुनिश्चित करने में प्रमुख बाधाएं क्या हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Recently, the UGC released regulations for establishment and operation of campuses by foreign universities in India. Discuss the reasons for allowing the entry of Foreign Higher Educational Institutions (FHEIs) in India. What are the major obstacles in ensuring their smooth entry? (Answer in 250 words) 15

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत से बाहर 6.5 लाख विद्यार्थी शिक्षा के लिए बाहर (विदेश) में गए जिससे 5 बिलियन डॉलर का धनबहिर्गमन हुआ। इस ब्रेन-ड्रेन और ब्रेन-ड्रेन को रोकने के लिए UGC ने TOP-500 यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने के लिए प्रस्ताव किया।

कारण → FHEIs की वर्ल्ड क्लास बेस्ट प्रैक्टिस को भारत में लाकर उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाना

→ भारत में उच्च शिक्षा में ग्रोस नामांकन - 27% है। इसे बढ़ाकर

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

नई शिक्षा नीति-2020 के अनुसार वर्ष-2035 तक 50% करने में FHEIs सहायक होगी।

→ उच्च शिक्षा में मॉडल सिटीज को और बढ़ाने के लिए FHEIs जरूरी थी

→ वेल्थ ड्रेन और ब्रेन ड्रेन को रोकना

→ R&D और उच्च शिक्षा में निवेश को बढ़ावा देना।

→ ज्ञान आधारित महाशक्ति और विजन-2047 के लिए समावेशी व नई शिक्षा हेतु।

प्रमुख बाधाएं

1.① FHEIs को फीस और पाठ्यक्रम निर्धारण की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने से शिक्षा में नई असमानता बढ़ेगी।

1.② FHEIs को अत्यधिक स्वायत्तता से भारतीय उच्च शिक्षण संस्थाओं

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा।

(4) रोजगार के अवसर सीमित होने के कारण FHEIs शिक्षा प्रदान करेंगे या नहीं

(5) FHEIs का उत्साहजनक रुझान न होने से असफलता का डर

आगे की राह

↳ भारत में उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान आधारित और कौशलप्रदत्त बनाने में मददगार होगी। साथ ही शिक्षा में निवेश GDP का 6% करना होगा।

↳ R&D को बढ़ावा देना होगा।

↳ प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाना

↳ कॉलेज - कॉर्पोरेट को कनेक्ट करना

अतः SDG-4 व नई शिक्षा नीति के लिए FHEIs को आमंत्रित करना उचित है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q18. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस हद तक सफल रहा है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

To what extent has the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) achieved its core objectives? (Answer in 250 words) 15

केन्द्रीय बजट 2020-21 में कोविड-19 के दौरान मनरेगा का बजट बढ़ाकर 2 लाख करोड़ किया जिससे Covid-19 के बाद आर्थिक विकास और ग्रामीण उपभोग को बढ़ने में मदद मिली।

मनरेगा की सफलता

- * स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण यू- सड़क तालाब
- * महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करने में कारगर रही — यू-55% लाभार्थी महिलाएं
- * ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन करने में मददगार यू- 2005-06 के बाद 25 करोड़ को गरीबी से बाहर
- * ग्रामीण मजदूरी को बढ़ाया
- * जीवन की गुणवत्ता में सुधार
- * ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निम्न वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ावा दिया

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

चुनौतियाँ

* भ्रष्टाचार के कारण 30% फंड का दुरुपयोग हुआ
* अस्थायी परिसंपत्तियों के कारण ठोस अवसंरचना नहीं बनी
* कार्य के प्रति प्रेरणा को कम किया। ग्रामीण उद्यमिता का विकास बाधित हुआ
* गाँव के स्तर पर कागजी कार्यवाही ने पेपर वर्क को बढ़ाया

आगे की राह

→ मनरेगा ने समानता व समावेशन को बनाया। अब इसे कौशल और तकनीक से जोड़ना होगा

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ मनरेगा के माध्यम से जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या ग्राम शहरों में लाए करना

→ अन्य योजनाओं के साथ समीक्षा करना होगा।

अतः मनरेगा ने भारतीय गाँवों से शहरों में प्रवास को रोककर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाकर- SDG-1, (No poverty) SDG-2 (Zero Hunger) को जमीन पर उतारा

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q19. "बदलती हुई भू-राजनीतिक परिस्थितियां बंगाल की खाड़ी की सामरिक अवस्थिति को हिंद-प्रशांत की व्यापक अवधारणा के लिए महत्वपूर्ण बनाती हैं।" उपर्युक्त कथन के आलोक में, क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देने में बिम्सटेक (BIMSTEC) की भूमिका पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

"Changing geopolitical realities make the strategic location of the Bay of Bengal crucial to the wider concept of the Indo-Pacific." In the light of the above statement, discuss the role of the BIMSTEC in enhancing regional cooperation and promoting stability. (Answer in 250 words) 15

बिम्सटेक विश्व की 22% आबादी और वैश्विक GDP के 1.3% का प्रतिनिधित्व करता है। यह बंगाल की खाड़ी देशों का समूह है।

#बिम्सटेक देश

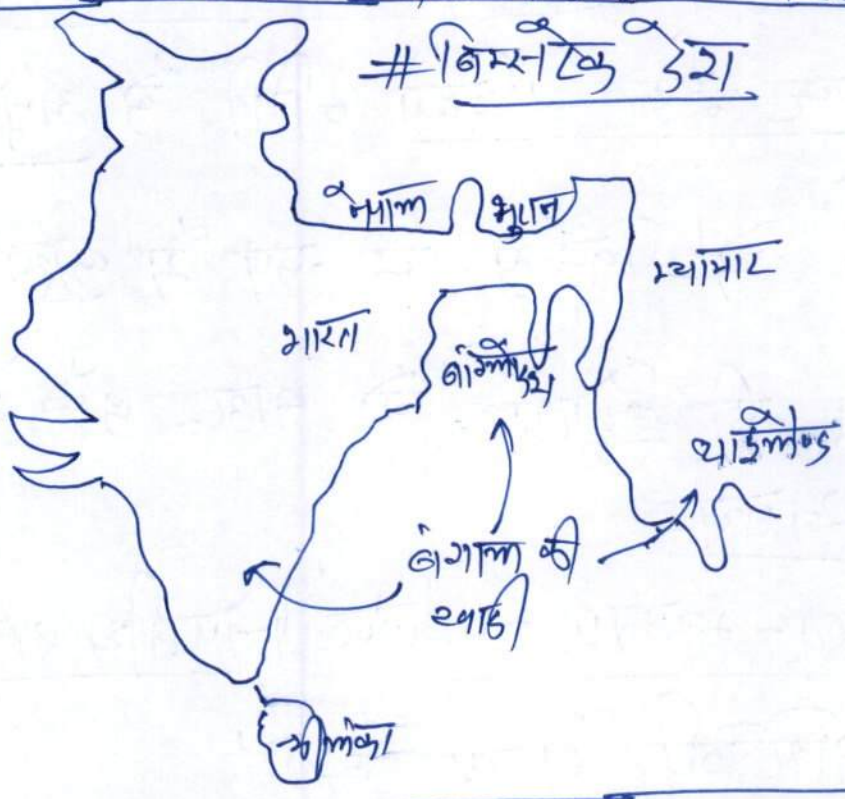

हिन्द-प्रशांत की व्यापक अवधारणा और बिम्सटेक का महत्व

① भारत को निकल सुरक्षा प्रदान बनाने के लिए हिन्द महासागर क्षेत्र में -

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

बिम्सटेक की भूमिका महत्वपूर्ण
* दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया समूह (आसियान) के मध्य एक कड़ी के रूप में बिम्सटेक भागीदारी।
* भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट एशिया नीति के अनुकूल
* सार्क के विकल्प के रूप में कारगर
* चीन की बढ़ोतरी को काउंटर करने में सहायक
* भारत-म्यांमार-थाईलैण्ड त्रिपक्षीय राजमार्ग से कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
* open, free, Inclusive इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए बिम्सटेक का महत्व
(बाधाएँ) -> अंतर-क्षेत्रीय व्यापार मात्र 7% ही है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- प्रतिस्पर्धी है लेकिन चीन फैक्टर के कारण फलदायी सिद्ध नहीं है।
- RCEP में भारत के शामिल ना होने का नुकसान
- अधिकांश आसियान देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा भारत के उत्साह को कम करता है।

अतः बिम्सटेक द्वारा बंगाल खाड़ी में भारत सार्क के विकल्प के रूप में नई रणनीतिक बढ़त बना सकता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Q20. विवेचना कीजिए कि भारत की विस्तारित रक्षा कूटनीति किस प्रकार पड़ोस में इसके प्रभाव को सुदृढ़ करती है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Discuss how India's expanding defence diplomacy strengthens its influence in the neighbourhood. (Answer in 250 words) 15

भारत अपने रक्षा आयातक से रक्षा निर्यातक बनने के प्रयास में रक्षा में आत्मनिर्भरता हेतु महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है वर्तमान में भारत 4th सबसे बड़ा रक्षा आयातक देश है।

विस्तारित रक्षा कूटनीति और पड़ोसियों पर प्रभाव

(1) दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका में बदलाव होगा -

- पाकिस्तान से तनावपूर्ण संबंधों का इतिहास
- नेपाल से रिश्तों में कालापानी विवाद के बाद खटास
- बांग्लादेश में अस्थिरता।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

* बिग ब्रदर की छवि में बढ़ोतरी हो सकती है। इससे पड़ोसियों से रिश्तों में तनाव
* चीन के साथ विवाद में बढ़ोतरी से दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

आगे की राह

↳ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी व गुजराल सिद्धान्त द्वारा दक्षिण एशिया को साधना

↳ कनेक्ट सेन्ट्रल एशिया द्वारा अफगानिस्तान, मध्य एशियाई देशों से संबंधों को प्रगाढ़ करना।

↳ एक्ट ईस्ट एशिया द्वारा आसियान से संबंध बेहतर बनाना

↳ सागर विजन द्वारा हिन्द महासागर

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

क्षेत्र में निवल सुरक्षा प्रदाता बनना

अत: भारत अपनी रक्षा कूटनीति द्वारा युद्धाभ्यास, रक्षा निर्यात (वियतनाम को ब्रह्मोस) बनकर पड़ोस में संबंध बेहतर कर सकता है।